



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक- 02.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1009/2022 धारा 147/148/307 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 26.10.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रामकुमार पुत्र श्री चन्द निवासी मौ0 देशराज कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.शेखर पुत्र राजवीर, 2.सचिन पुत्र बबली, 3.मन्नु पुत्र बबली, 4.रितिक पुत्र सागर, 5.



शुभम उर्फ काला पुत्र अनिल, 6.सन्नी पुत्र उदयवीर, 7.मोनू पुत्र ईश्वर, 8.टीकू पुत्र ईश्वर, 9.आशू पुत्र राजवीर, 10.लवनीश पुत्र सुशील, 11.पंकज पुत्र अशोक, 12.उदित पुत्र भारत, 13.अमित पुत्र भारत निवासीगण पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पुत्र अनमोल व भतीजे सोनू व विजय पर पोस्टर फाड़ने की बात को लेकर लोहे की सरिया, लाठी डण्डों से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया जिससे उनको गम्भीर चोटें आयी हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1009/22 धारा 147/148/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान विकास उर्फ नचिक पुत्र सूबे सिंह निवासी मौ० देशराज पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 1009/22 धारा 147/148/307 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- विकास उर्फ नचिक पुत्र सूबे सिंह निवासी मौ० देशराज पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-का० 584 कपिल थाना कोतवाली बागपत।

3-का० 192 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1026/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से टावर से चोरी की हुई 02 बैटरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.11.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर प्रवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी रूड़की रोड मोदीपुरम थाना पल्लवपुरम मेरठ के द्वारा तहरीर दी गई कि नया गांव हमीदाबाद स्थित उसके टावर से अभियुक्त कमल पुत्र भोपाल निवासी नया गांव हमीदाबाद



थाना कोतवाली बागपत को बैटरी चोरी करते हुये पकड़ा गया है जिससे टावर की 02 बैटरी मिली हैं । वादी व जनता द्वारा अभियुक्त कमल को पकड़ कर थाना कोतवाली बागपत पर लाया गया । थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1026/22 धारा 379/411 भादवि पंजिकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की हुई टावर की 02 बैटरी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-कमल पुत्र भोपाल निवासी नया गांव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- टावर से चोरी की हुई 02 बैटरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.का0 806 निकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2.का0 889 रविकान्त थाना कोतवाल बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02-11-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1039/22 धारा 452/323/504/506
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.10.22 को थाना बडौत पर वादी उजेफा पुत्र यामीन निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-नदीम पुत्र बाबूराम, 2-चीचू उर्फ आरिश पुत्र तरस्लीम निवासीगण कस्बा व थाना बडौत ने उसके घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1039/22 धारा 452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1039/22 धारा 452/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-नदीम पुत्र बाबूराम निवासी सरकुलर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना बडौत ।
- 2- का0 1030 शुभम थाना बडौत ।
- 3- का0 892 तेजवीर थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02-11-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 937/21 धारा 420/467/468/471/406 भादवि में
वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.09.2021 को थाना बडौत पर वादी श्री अकुर तोमर पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-धर्मेन्द्र पुत्र जगपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत 2-अजय ने उसकी फौज में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधडी कर उससे 6 लाख रूपये ले लिए तथा रूपये वापस मांगने पर रूपये वापस नहीं किये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 937/21 धारा 420/467/468/471/406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 937/21 धारा 420/467/468/471/406 भादवि में वांछति एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-धर्मेन्द्र पुत्र जगपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० अमित चौहान थाना बडौत।

2- का० 1058 शरद थाना बडौत।



प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 02.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 170/22 धारा
352/323/504/506/308/325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.22 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सुनील पुत्र अशोक कश्यप निवासी ग्राम पांची थाना चाँदीनगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इस्तिकार पुत्र अलीहसन 2.नदीम पुत्र अलीहसन 3.साबिक पुत्र इस्तिकार 4.सुत्ती पुत्र याकूब निवासीगण पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा उसके परिवारजनों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 170/22 धारा 352/323/504/506/308/325 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 170/22 धारा 352/323/504/506/308/325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- साबिक पुत्र इस्तिकार निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री युवनीश कुमार ।

2-का0 1023 गणेश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 02.11.2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 379/2022 धारा 147/148/149/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकलत एक फरसा (गंडासा) किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 379/2022 धारा 147/148/149/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकलत एक फरसा



(गंडासा) बरामद किया है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

1-उपेन्द्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक फरसा (गंडासा) ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री डी०के० त्यागी थाना खेकडा ।

2-उप०नि० वृक्षपाल सिंह थाना खेकडा ।

3-का० 301 मुलायम सिंह थाना खेकडा ।

4-का० 217 राधेश्याम थाना खेकडा ।

5- का० 427 अरूण भाटी थाना खेकडा ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 02.11.2022

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-हरवीर पुत्र मुखराम निवासी ग्राम बाखरपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना बालैनी ।
- 2- का0 809 शिवकुमार सोलंकी थाना बालैनी ।
- 3- का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 02.11.2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 268/2021 धारा 420/406 भादवि में
वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.2021 को थाना दोघट पर वादी कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत वर्तमान पता लोहिया नगर जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.नवाब सिंह पुत्र स्व0 बचन लाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट



व 02. बैंक मैनेजर जिला सहकारी बैंक शाखा दोघट थाना दोघट ने उसके पिता व भाई के खातों से धोखाधडी कर 18 लाख रुपये निकाल लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 268/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 268/21 धारा 420/406 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नवाब सिंह पुत्र बचन लाल निवासी गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री महेन्द्र सिंह ।

2-का० 73 रविन्द्र कुमार ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 02.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 226/2022 धारा 498ए/306 भादवि में
वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 226/22 धारा 498A/306 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मुबारिक पुत्र स्व० अली मौहम्मद निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत

।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उपनि० श्री नन्द किशोर ।

2.का० 991 नवीन कुमार ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक

02.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 22 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रामकिशन पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 राकेश त्यागी थाना छपरौली ।

2- का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली।